-1-

(181)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप–जबलपुर

निग – 2855 – I 16.

प्रकरण कमांक पुनरीक्षण /2016 (जिला–सिवनी)

निरपत सिंह पिता लालसिंह गौंड
निवासी पाथरफोडी खैरटोला तहसील व
जिला सिवनी म0प्र0 ------ आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म0प्र0 ---- अनावेदक

श्री प्रशांत साहू, अधिवक्ता द्वारा जबलपुर कैंप पर प्रस्तुत। 23/8/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण कमांक 29/अ–21/13–14 में पारित आदेश दिनांक 09–8–2016 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

Present 23-8-16

प्रशांत साहू (एड.)

2– यहकि, कलेक्टर, सिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक ग्राम खैरटोला ख. नं. 923 रकबा 0.990 हैक्टर भूमि का भूमिस्वामी है । जबकि आवेदक ग्राम पाथरफोड़ी का निवासी है । उक्त भूमि निवास स्थान से 35 किलोमीटर दूर होने के कारण आवेदक उस पर खेती नहीं कर पाता है इस कारण से तथा अपनी शेष बची भूमि के सुधार हेतु वह उक्त भूमि को विकय करना चाहता है । अतः उसे विकय की अनुमति दी जाये । किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

3– यहकि, कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदनहेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार, सिवनी को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा जांच कर अपना

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 २४55 -एक/16 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 09-8-2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक निरपतसिंह आत्मज लालसिंह गोंड द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम खैरटोला प.ह.न. 131 रा.नि.मं. सिवनी भाग-1 तहसील एवं जिला सिवनी खसरा नं. 93 रकबा 0.990 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, सिवनी को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से इस आधार पर कि प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि यदि आवेदक को आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है तो उसके पास जीवकोपार्जन हेतु	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	10 एकड़ से कम भूमि शेष रहती है जो संहिता की धारा 165 में विहित प्रावधानों का उल्लंघन है । यह भी आधार लिया गया है कि आवेदक द्वारा जो कारण बताये गये हैं उनकी पूर्ति के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध हैं, और उक्त कारण से आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया गया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नाधीन भूमि उनके द्वारा क्रय की गई भूमि है शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है । आवेदक द्वारा भूमि का विक्रय भूमि निवास स्थान से 35 किलोमीटर दूर होने के कारण, कृषि न कर पाने तथा भूमि को बेचकर मकान गोदाम का निर्माण तथा बैंक का कर्जा अदा करने हेतु किया जा रहा है । उक्त तथ्यों को जिलाध्यक्ष ने अनदेखा किया है । यह भी कहा गया कि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 2.92 हैक्टर सिंचित भूमि शेष बचती है जो आवेदक के जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । संहिता की धारा 165 में 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहने के जो प्रावधान हैं, वे बंधक एवं कुर्क किए जाने के संबंध में है । जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर आवेदक द्वारा क्रय की गई है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 २४५५-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक की ओर से जो राजस्व अभिलेख पेश किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 2.92 हैक्टर सिंचित भूमि शेष बचेगी इस कारण वह भूमिहीन नहीं होगा । प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि आवेदक ग्राम पाथरफोड़ी का निवासी है जबकि आवेदित भूमि ग्राम खैरटोला में स्थित है जो आवेदक के निवास स्थान से काफी दूर स्थित आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनको देखते हुए आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-08-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित कृषि भूमि स्थित ग्राम खैरटोला प.ह.न. 131 रा.नि.मं. सिवनी भाग-1 तहसील एवं जिला सिवनी खसरा नं. 93 रकबा 0.990 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

निरपत सिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन

नि0- 2855- II/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2– क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । 4– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	